

स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - श्रीरामिया



धारा अन्तर्गत - 136

प.सं. 309/25

दाखर दिनांक 29/09/2025 निर्णय दिनांक 29/09/2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट			
1	<u>श्रीरामिया</u>	36	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p> <p>सुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर मन्त्री <u>प.ई. श्रीरामिया</u></p> <p>हस्ताक्षर निरदावर <u>श्रीरामिया</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>			
			<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुसंधान स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>श्रीरामिया</u> प.ह. <u>श्रीरामिया</u> खालास <u>36</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>			

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल श्रीरामिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

तहसीलदार कपासन
तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन चितौडगाढ